राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जायल केम्प कोर्ट , कठौती जिला नागौर।

पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर0ए0एस0)

प्रार्थना पत्र संख्या– 78/2017

1– श्रीरामाराम उर्फ शिवधर पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बोसेरी तहसील जायल जिला नागौर।

.....प्रार्थी

बनाम

1–राजुराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी बोसेरी तहसील जायल जि. नागौर।

2–बिसनाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी बोसेरी तहसील जायल जि. नागौर।

3–खेमाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी बोसेरी तहसील जायल जि. नागौर।

4–हीराराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बोसेरी तहसील जायल जि. नागौर।

5–तोलाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बोसेरी तहसील जायल जि. नागौर।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.

उपस्थित अधिवक्ता :–

1 श्री अम्बालाल पारासर व चन्द्राराम बिडियासर प्रार्थी की और से।

2 श्री मुन्नीलाल कडवासरा अप्रार्थी सं. 01 से 03 की और से।

14/5/18

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

(V4)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

3. श्री मुनीराम मालोदिया अप्रार्थी सं. 04 की ओर से।

— निर्णय —

दिनांक 14.05.18

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 04 से 05 सगे भाई है। जिन के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 247/85 रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा ग्राम बोरावे में आया हुआ है। खसरा नम्बर 85 के खातेदार राजूराम, किसनाराम, खेताराम का खेत प्रार्थी के खेत के विपरीत उत्तरी छोर पर आये हुए है। अप्रार्थी सं. 01 से 03 पूर्व में कायम रास्ते से हटकर एक नया रास्ता अपने खेत में आने जाने के लिये प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 247/85 के बीच में से होकर नया रास्ता कायम करना चाहते है। जब कि विधि अनुसार पूर्व में खेत में आने जाने के लिये रास्ता हो तो दुसरा रास्ता घोषित करने का या अन्य व्यक्तियों को या सरकार को दुसरा रास्ता घोषित करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 247/85 में अप्रार्थी सं. 01 से 03 व 06 को हस्तक्षेप करने व प्रार्थी के खेत में रास्ता कायम करने, रास्ता निर्माण करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा दोराने वाद तक पाबंद किया जाये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की किया जाकर अप्रार्थीण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सं. 01 से 03 की और से मुन्नीलाल कडवासरा व अप्रार्थी सं. 04 की और से मुनीराम मालोदिया ने वकालतनाम पेश किया। अप्रार्थी सं. 05 व 06 बावजूद तामिल गैर हाजिर रहने के कारण इन के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं. 01 से 03 की और से वकील मुन्नीलाल ने प्रार्थना पत्र का पेरावाईज खण्डन कर जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 01 से 03 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 419/85 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 420/85 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 421/85 रकबा 06 बिस्वा (रास्ते के लिये) में जाने के लिये प्रार्थी के सहखातेदारी के खसरा नम्बर 247/85 रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा में से रास्ता

14/5/18
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

घोषित करवाने के लिये प्रार्थना पत्र सं. 15/17 अनवान राजुराम बनाम श्रीरामाराम पेश किया हुआ है जिस को रूकवाने के लिये प्रार्थी ने गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी सं. 01 से 03 अपने खेतों में रहवासी ढाणीयां बनाकर रहते है जिस से रास्ते के अभाव में ढाणियों में पानी के टेंकर ले जाने की भारी समस्या हो रही है। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में सहखातेदार अप्रार्थी हीराराम व अप्रार्थी सं. 01 से 03 के खेतों में जाने के रास्ते के लिये प्रार्थना पत्र सं. 15/17 में सहमती का जवाब दिया है तथा अप्रार्थी तोलाराम ने बावजूद तामिल प्रकरण को कन्टेस्ट नहीं किया है। जिस में अप्रार्थी हीराराम व तोलाराम की अप्रार्थी सं. 01 से 03 के द्वारा रास्ता घोषित करवाने में सहमति दी है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी वकील व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी की बहस मुख्यतया प्रार्थना पत्र पर आधारित रही। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि इस प्रार्थना पत्र के संबंध में रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र सं. 15/17 अनवान राजुराम बनाम श्रीरामाराम आप के न्यायालय में चल रहा है। अप्रार्थी सं. 01 से 03 को रास्ता नहीं मिले इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है। सहखातेदार अप्रार्थी हीराराम व अप्रार्थी सं. 01 से 03 के खेतों में जाने के रास्ते के लिये प्रार्थना पत्र सं. 15/17 में सहमती का जवाब दिया है तथा अप्रार्थी तोलाराम के बावजूद तामिल प्रकरण को कन्टेस्ट नहीं किया है। जिस में अप्रार्थी हीराराम व तोलाराम की अप्रार्थी सं. 01 से 03 के द्वारा रास्ता घोषित करवाने में सहमति है। इसलिये प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा के खारीज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ठ हुआ की इस प्रार्थना पत्र के संबंध में एक प्रार्थना पत्र 15/17 अनवान राजुराम बनाम श्रीरामाराम रास्ते के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय में चल रहा है जिस में मौजा बोसेरी के खेत खसरा नम्बर 247/85 में से अप्रार्थी से 01 से 03 ने रास्ते के लिये मांग कर रखी है। अप्रार्थी सं. 01 से 03 को रास्ता नहीं देने के लिये प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है। इस से साबित होता है कि अप्रार्थी सं. 01 से 03 को रास्ता नहीं देने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है।

14/5/18
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

(3/4)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

प्रा.पत्र क्र. 78/2019

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी की गयी अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। तहरीर पालनार्थ तहसीलदार जायल को जारी हो।

14/5/18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 14.05.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner